तमिलनाडु सरकार के सचिव, सार्वजनिक (कानून और व्यवस्था) राजस्व विभाग और अन्य

बनाम

कमला और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 507 वर्ष 2018) 10 अप्रैल 2018

[दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ए एम खानविलकर और डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति]

विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 - धारा 3(1)(ii) - निरोध आदेश - हिरासत की अवधि हिरासत आदेश में निर्दिष्ट नहीं है - गैर-विनिर्देशन से निरोध आदेश ख़राब नहीं होगा।

अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा: उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर हिरासत के आदेश को रद्द करना उचित नहीं था कि आदेश में हिरासत की कोई अवधि प्रदान नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने भिरयानी में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर कार्यवाही की है जो देवकी में एक बड़ी पीठ के बाद के निर्णय को देखते हुए अब अच्छा कानून नहीं है। संथी में उच्च न्यायालय का निर्णय इस हद तक कि वह भिरयानी जैसी ही स्थिति अपनाता है, सही कानूनी स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। [पैरा 5] [856-जी] पुलिस आयुक्त बनाम गुरबक्स आनंदराम भिरयानी (1988) सपोर्ट एससीसी 568 - सही कानून नहीं।

शांति बनाम सरकार सचिव, गृह, निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग, सचिवालय, चेन्नई 2010 (3) एमडब्ल्यूएन (आपराधिक) 42 (डीबी) - आंशिक रूप से अस्वीकृत।

देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार (1990) 2 एससीसी 456 - पर निर्भर।

केस कानून संदर्भ

(1988) सप्लीमेंट एससीसी 568 सही कानून नहीं है।

(1990) 2 एससीसी 456 पैरा 4 पर निर्भर था।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 507 वर्ष 2018

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.02.2016 के विरुद्ध एचसीपी संख्या 2442 वर्ष 2015 में ।

श्रीमती सुजाता बागधी, एम. योगेश कन्ना अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

टी. हरीश कुमार, नवनीत दुगड़ उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉक्टर डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सुनाया गया।

1. उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 की धारा 3(1)(ii) के तहत जारी हिरासत के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि हिरासत की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त बनाम गुरबक्स आनंदराम भिरयानी मामले में इस न्यायालय के फैसले और सैंथिव मामले में उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। शासन सचिव, गृह, निषेध एवं उत्पाद शुल्क विभाग, सचिवालय, चेन्नई।

2. तमिलनाडु सरकार अपील में है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

3. जिस निवेदन में आग्रह किया गया है वह यह है कि यद्यपि हिरासत की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय में निहित कानूनी स्थिति के बयान को सही करना आवश्यक है। विद्वान वकील ने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि भिरयानी (सुप्रा) में दो न्यायाधीशों की पीठ के पहले के फैसले को टी देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था।

4. टी देवकी बनाम तमिलनाडु सरकार के मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना है कि चूंकि कानून में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उस अवधि को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए एक बंदी को हिरासत में रखना आवश्यक है। ऐसे विनिर्देश के अभाव में हिरासत का आदेश अमान्य या अवैध नहीं ठहराया जाता है।

इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"13. इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि हिरासत का आदेश केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाता क्योंकि इसमें हिरासत की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ 'कोफेपोसा अधिनियम 1974 1988 (सप्प) एससीसी 568 32010 (3) एमडब्ल्यूएन (आपराधिक) 42 (डीबी) 4 (1990) 2 एससीसी 456 उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य में [(1952) 3 एससीआर 756 : एआईआर 1952 एससी 350: 1953 [आपराधिक] 146], निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 3 के तहत किए गए निरोध आदेश की वैधता पर विचार करते समय यह माना गया कि अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए निरोध आदेश में किसी निश्चित अवधि का गैर-विनिर्देशन, आदेश को अमान्य करने वाली कोई महत्वपूर्ण चूक नहीं थी। सुना उल्लाह बट बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य में [(1973) 3 एससीसी 60: 1973 एससीसी (आपराधिक) 138: (1973) 1 एससीआर 870], जम्मू और कश्मीर निवारक हिरासत अधिनियम, 1964 के तहत किए गए नजरबंदी आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 12 के तहत नजरबंदी आदेश की पुष्टि करते समय हिरासत की अवधि निर्दिष्ट करने में विफल रही थी। अदालत ने माना कि चूंकि राज्य सरकार के पास अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि पूरी होने से पहले किसी भी समय हिरासत आदेश को रद्द करने या संशोधित करने की शक्ति है, इसलिए राज्य सरकार के लिए हिरासत की अवधि निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है। सुरेश भोजराजचेलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1983) 1 एससीसी 382: 1983 एससीसी (आपराधिक) 202] में, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत किए गए हिरासत आदेश की वैधता पर विचार करते हुए , 1974 इस न्यायालय ने बंदी की ओर से की गई इसी तरह की दलील को खारिज कर दिया कि हिरासत का आदेश रद्द कर दिया गया था क्योंकि सरकार हिरासत के आदेश की पुष्टि करते समय हिरासत की अवधि का उल्लेख करने में विफल रही थी। अदालत ने माना कि COFEPOSA अधिनियम के तहत हिरासत प्राधिकारी को हिरासत के आदेश में हिरासत की अवधि का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी आदेश में किसी अवधि का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो निहितार्थ यह है कि हिरासत अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि के लिए है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर हिरासत के आदेश को रद्द करना उचित नहीं था कि आदेश में हिरासत की कोई अवधि प्रदान नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने भिरयानी में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर कार्यवाही की है जो देवकी में एक बड़ी पीठ के बाद के निर्णय को देखते हुए अब अच्छा कानून नहीं है। संथी में उच्च न्यायालय का निर्णय, इस हद तक कि वह भिरयानी में भी वही स्थिति अपनाता है, सही कानूनी स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करेगा।

6. तदनुसार, एचसीपी संख्या 2442/2015 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 24 फरवरी 2016 के आक्षेपित फैसले को रद्द किया जाता है। परिणामस्वरूप, सार्वजनिक (एससी) विभाग का जीओ नंबर SR.1/63-5/2015 वाला हिरासत आदेश दिनांक 31 अगस्त 2015 पुनर्जीवित हो जाएगा। हालाँकि, चूँकि हिरासत की अवधि समाप्त हो गई है, इस न्यायालय के पास वास्तविक कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है जैसा कि हमने उपरोक्त शर्तों में किया है।

7. आपराधिक अपील तदनुसार निपटाई जाती है।

देविका गुजराल अपील निस्तारित।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"